

जावाजा विश्वावद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_hwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2650

दिनांक : 26-10-2015

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार आचार्य नरेन्द्रदेव कॉलेज, कैलारस, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अतिरिक्त विषय- राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान), बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.एस-सी. (होमसाइंस), बी.एस-सी. (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन, अतिरिक्त विषय- वनस्पतिकी, प्राणिकी, कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (समाजशास्त्र), पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

28(17) के अन्तर्गत महाविद्यालय ने प्राचार्य और शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कर ली है। महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता को निरंतरता (2015-16 हेतु) प्रदान की जा सकती है। महाविद्यालय में कुछ सुविधायें विकसित करना उचित होगा, जैसे- पुस्तकालय में पुस्तकें व्यवस्थित तरीके से जमा कर रखना, प्रयोगशाला में उपकरण ठीक प्रकार रखना, खेल के मैदान को और सुविधाजनक तैयार करना। टॉयलेट्स की स्थिति में सुधार करना। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कुछ और शिक्षकों को महाविद्यालय अपने स्तर पर रखें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आचार्य नरेन्द्रदेव कॉलेज, कैलारस, मुरैना।
1. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्